न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 241 / 2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
मुकनाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम 2. वेहनाराम पुत्र दुर्गाराम 3. हरखाराम पुत्र दुर्गाराम 4. हीराराम पुत्र दुर्गाराम 5. गुमनाराम पुत्र खेताराम 6. चुतराराम पुत्र आसूराम 7. मंगलाराम पुत्र आसूराम 8. सिणगारी पत्नि आसूराम 9. चुनी पत्नि निम्बाराम 10. पूनमाराम पुत्र निम्बाराम 11. पूराराम पुत्र निम्बाराम 12. जगूराम पुत्र शेराराम 13. जीयाराम पुत्र शेराराम 14. हरजीराम पुत्र खेताराम 15. हीरोंदेवी पत्नि दुर्गाराम जाति जाट निवासी साईयां कीं ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 16. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 सें 15 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 16 के पैरोकार सरकार उप0।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 10.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ग[illegible] बहस प्रार्थी ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53/188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को [illegible] मिलने की पूर्ण संभावना है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के संयुक्त खातेदारी व क[illegible] काश्त के पैतृक खेत [illegible] साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18. 4857 हेक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870 हेक्टयर व मौजा जोगासर पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 577

कबा 4. 7246 हेक्टयर व मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टयर के आगे हुऐ है। कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी जिस पर तक सेटलमेंट प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके के फौत होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। तब से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हुऐ है। राजस्व रेकर्ड के हिस्सों के माफिक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, बाखळे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है। परन्तु खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा कुछ समय पूर्व विप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धोखे व अंधेरे में रखते हुऐ वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के के विपरित बंटवाडा करवाने हेतु समझौता पत्र तैयार कर प्रार्थी से जालसाजी पूर्व हस्ताक्षर करवा लिये तथा बंटवाडा करवा लिया परन्तु अभी तक उक्त बंटवाडे का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही हुआ है तथा साथ ही विप्रार्थीगण सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिये प्रार्थी सम्पूर्ण खेतों में विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की सामलाती भूमि में से अपने हिस्सों की भूमि अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाना चाहता है। यदि विप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति मुद्रां द्वारा सम्भव नहीं है इसके विपरीत यदि विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाता है तो विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई विधिक हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी विवादित खेत का रिकार्डेड खातेदार है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि मौजा मौजा साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18.4857 हेक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870 हेक्टयर व मौजा जोगासर पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 577 रकबा 4.7246 हेक्टयर व मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टयर की भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही अन्य किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण करवायें तथा वर्तमान रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील [illegible] प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 15 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया [illegible] पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त के पैतृक खेत मौजा साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18. 4857 हेक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870

7246 हेक्टेयर व मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 577 रकबा 4 पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टयर के आये हुऐ है। कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, जिस पर वक्त सेन्टलमेंट प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके के फौत होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। तब से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 15 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हुऐ है। राजस्व रेकर्ड के हिस्सों के माफिक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है। परन्तु खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाडा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा कुछ समय पूर्व विप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धोखे व अंधेरे में रखते हुऐ वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त के के विपरित बंटवाडा करवाने हेतु समझौता पत्र तैयार कर प्रार्थी से जालसाजी पूर्व हस्ताक्षर करवा लिये तथा बंटवाडा करवा लिया परन्तु अभी तक उक्त बंटवाडे का राजस्व रेकर्ड में अमल दमराद नहीं हुआ है तथा साथ ही विप्रार्थीगण सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में हिस्से भी खुए हुए है.जा पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। लेकिन विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन में प्रार्थी वकील द्वारा प्रकट तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम द्रष्यता प्रार्थी राहत प्राप्त करने का हकदार प्रतीत है। अतःप्रथम द्रष्यता प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के विरूद्व जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.09.2022 कि वे "मौजा साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18. 4857 हेक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870 हेक्टयर व मौजा जोगासर पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 577 रकबा 4. 7246 हेक्टयर व मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टयर भूमि के सबंध में प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर यथास्थिति बनाए रखें।" को ताफैसला मूल वाद तक कन्फर्म किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी